राज्य राजनीति एवं पंचायती राज के संबंध

भूमिका

विगत वर्षों में, खासकर राज्य राजनीति के अध्ययन के प्रसार के बाद, यह बात स्पष्ट होकर सामने आई है कि स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ हाने से राज्य स्तरीय राजनीति पर स्थानीय राजनीति का प्रभाव पड़ा है। दशकों के प्रजातांत्रिक प्रयोगों से यह साबित हो गया है कि वृहद्स्तरीय एवं स्थानीय राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। निम्न विन्दुओं से इसे स्पष्ट किया जा सकता है।श

1. सरकार का तीसरा स्तर (1. Third tier of Government)

इकबाल नारायण ने पंचायतों के संदर्भ में बताया कि पंचायती राज संस्थाएं स्थानी स्वशासन की इकाई होती हैं। उच्चस्तरीय सरकारों के अभिकर्ता के रूप में कार्यों का निष्पादन तथा ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को बहाल करती हैं। एस. आर. महेश्वरी ने पंचायतों के तीन प्रतिमानों की चर्चा की पहला, सामुदायिक विकास का एक उपकरण के रूप में, दूसरा, राज्य सरकार के एक अंग के रूप में तथा ग्राम स्तर पर लोकतंत्र की प्राप्ति के उपकरण के रूपमें। एस. एन. दूबे ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्माण के पीछे तीन महत्वपूर्ण तार्किक आधार बताया – पहला लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप सामुदायिक विकास को प्रशस्त करना, विकास के संदर्भ में निर्णय निर्माण प्राधिकार का हस्तांतरण तथा तीसरा सहभागी लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित करना।

2. पंचायतीराज संस्थाएं एवं राजनीतिक दल (2. PRIs and Political Parties)

उल्लेखनीय है कि बलवंत राय मेहता कमिटि ने स्पष्ट रूप से अनुंसंशा की थी कि पंचायती राज के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा होने से गांवों में गुटबाजी (factionalism) को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा संथानम कमिटि ने भी पंचायत में राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप से दूर रहने की सलाह दी थी। परन्तु यह भी सत्य था कि राजनीतिक दल अपनी जड़ें मजबूत करने के दृष्टिकोण से पंचायत चुनावों में दलीय संलग्नता के प्रति झुके हुए थे। यह तर्क दिया गया कि राजनीतिक दलों के रहने से ग्रमीण जनता में विचारधारा के आधार पर देशहित के प्रति सजगता आ सकती है। राजनीतिक दलों से पंचायती राज एक व्यवस्था के रूप में विकसित होकर अपने लक्ष्यों में सफल हो सकता है। बिहार के पंचायतीराज व्यवस्था के अध्ययन में आर. के. वर्मा (अपनी पुस्तक 'ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी एट वर्क ' : 2009 में) ने अपने सूक्ष्म स्तरीय परीक्षण के निष्कर्ष में पाया कि यद्यपि राजनीतिक दलों के नेता पंचायत राजनीति में खुलकर किसी एक पक्ष का साथ नहीं देते परन्तु संभावित समर्थकों को परोक्ष सहायता एवं सहयोग देते रहते हैं ताकि चुनावों के समय उनको समर्थन मिले। इसके अतिरिक्त पंचायत स्तर के सक्रिय कार्यकर्ता राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। दूसरे राज्यों यथा पश्चिम बंगाल,

दिल्ली आदि में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर ही होते हैं जहां पंचायती प्रतिनिधियों का सीधा जुड़ाव राजनीतिक दलों से होता है।

3. सत्ता के लिए परस्पर निर्भता (3. Inter Dependence for Power)

यद्यपि प्रारंभ से ही साम्यवादी दलों को छोड़कर सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को पंचायती राज से अलग रखने की वकालत की जाती रही है क्यों कि ग्रमीण समुदाय में अनावश्यक संघर्ष एवं गुटवाजी विकसित होने की आशंका थी। परन्तु कालान्तर में सत्ता के लिए बढ़ती स्पर्धा के कारण राज्य स्तरीय नेतृत्व में जमीनी आधार के विस्तार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। फलस्वरूप 'पंचायती राज' 'राज्य राजनीति' को और 'राज्य राजनीति' 'पंचायती राज' को परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने लगें हैं। बिहार में सर्वप्रथम वामपंथी संगठनों ने 2001 में अपने कार्यकर्ताओं को पंचायती राज चुनावों में उम्मीदवार बनाया। क्यों कि उनका विश्वास था कि इस माध्यम से उन्हें जंमींदारों के विरूद्ध संघर्ष को बल मिलेगा। हलांकि अन्य दलों ने पंचायत चुनावों से परहेज किया क्यों कि वे नही चाहते थे कि गांव का कोई भी धड़ा उनके विपक्ष में चला जाय। दूसरी ओर पंचायत प्रतिनिधि अपने समर्थकों के कार्यों के निस्पादन हेतु राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रस्तरीय नेतृत्व से संपर्क रखना चाहते हैं ताकि उनकी चुनावी संभावनाएं अधिक हो जाय। इस प्रकार दोनों ही अपनी अपनी सत्ता के लिए परस्पर निर्भर रहते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद् अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कराने के लिए राजनीतिक दल अपने अपने समर्थकों को सहायता पहुंचाते हैं ताकि ग्रामीण विकास में उनके क्षेत्र को अधिक लाभ पहुंच सके।

4. राजनीतिक भर्ती के स्रोत के रूप में (4. As Source of political recruitment)

पिछले बीस वर्षों के अनुभव के बाद स्थानीय विकास में पंचायतों की भूमिका सशक्त होती जा रही है जिसके चलते यह एक सशक्त राज्य स्तरीय तथा राष्ट्र स्तरीय राजनीति के लिए मंच बन गया है। पंचायती राज संस्थाएं राज्य स्तरीय तथा देश स्तरीय राजनीति में राजनीतिक भर्ती की स्रोत बन गईं हैं। राजनीतिक दलों के लिए पंचायत प्रतिनिधि फुट सोल्जर्स की भूमिका निभाते हैं। पश्चिम बंगाल तथा केरल में राजनीतिक दलों ने तो इसका बखुबी प्रयोग किया। सर्वाधिक ज्वलंत उदाहरण भाजपा के अमित शाह द्वारा बुथ प्रबंधन के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का चयन किया गया है। शायद इसीलिए कहा गया है कि पंचायतें राजनीतिक दलों के व्यवस्थित निवेश के रूप में उभरे हैं। सिरसीकार ने कहा कि पंचायती राज स्थानीय स्तर पर नेतृत्व के उद्भव के साधन हैं। स्थानीय नेतृत्व सत्ताधारी दल को अपनी स्थिति मजबुत करने का अवसर प्रदान करते हैं तथा वे वोट बैंक के रूप में स्वीकार किये जाते हैं। वर्मा ने 2009 के अपने अध्ययन में पाया है कि राजनीतिक कार्यक्रमों में पंचायत के प्रतिनिधि राज्य स्तरीय नेतावों को दो प्रकार से सहायता देते हैं – पहला समर्थकों को प्ररित कर तथा दूसरा सामग्री उपलब्ध कारकर। वो ऐसा इसलिए

करते हैं ताकि अवसर आने पर राजनीतिक दल के संगठन या क्षेत्रीय सहभागी संस्थाओ जैसे जनवितरण निगरानी समिति, में उन्हें नेतृत्व की जिम्मेवारी मिल सके। पंचायत नेतृत्व को उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ जुड़ाव से वृहद्तर राजनीति में प्रवेश की आशा रहती है।

5. विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन मे (5. Implementation of Development Programmes)

प्रो. महेश्वरी ने विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायतों की राज्य स्तरीय राजनीति में भागीदारी को स्पष्ट किया है। 73वें संविधान सेशोधन के बाद ग्रमीण विकास के कार्यक्रमों की पहल एवं कार्यान्वयन पंचायतों के माध्यम से होने लगे हैं। वास्तव में मुखिया वह निर्वाचित कार्यकारी पदाधिकारी होता है जो केन्द्रीय या राज्यीय कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन कराने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उच्च स्तरीय नेतृत्व का जुड़ाव पंचायत प्रतिनिधियों से होना स्वाभाविक है क्यों कि कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में उनका चुनावी भविष्य निर्भर करता है। इसलिए वे पंचायत नेतृत्व का महत्व देते हैं तथा उनके परामर्श से स्थानीय स्तर राजनीतिक गतिविधियां की जाती हैं।

निष्कर्ष यह है कि पंचायती राज व्यवस्था ने वृहद् स्तरीय राजनीति को प्रभावित किया है। ईकबाल नारायण ने कहा कि ''यह पंचायती राज व्यवस्था ही है जिसने भारत के ग्रामीण समाज में राजनीतिकरण की प्रक्रिया का व्यापक प्रसार किया तथा उच्च स्तरीय सरकारों की इकाई के रूप में कार्य निस्पादन का कार्य किया।''